प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 18.05.2026

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 03 वारण्टी नाम पता 01. मुदासिर पुत्र अब्बास अली निवासी मुण्डेरी, 02. नुरूल हीदा पुत्र अब्बास अली निवासी मुण्डेरी, 03. सबरूनिशा पत्नी नुरूल हीदा निवासी मुण्डेरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र, हे0का0 अजय सिंह, म0का0 अनामिका सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7668 द्वारा बस कण्डक्टर व यात्री के बीच विवाद को कराया गया शान्त– पीआरवी 6005 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मेहंदावल बाईपास से कालर द्वारा बस में यात्रा के दौरान स्वयं के साथ बस कन्डक्टर तथा चालक द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों तथा क्षेत्राधिकारी यू0पी0-112 श्री अमित कुमार द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर महिला कालर तथा बस के अन्य यात्रियों से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो पता चला कि दुर्व्यवहार की बात गलत है बस में सीट न मिलने की वजह से कालर द्वारा यू0पी0-112 को सूचना दिया गया था तत्पश्चात बस कन्डक्टर तथा चालक को आवश्यक निर्देश देकर महिला कालर को सीट दिलवाकर सुखद एवं सुगम यात्रा हेतु सकुशल रवाना किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन एवं पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से कालर उपरोक्त की समस्या का त्वरित निस्तारण किया गया। जिसकी बस यात्रियों तथा आम जनमानस द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है।

पीआरवी स्टाफ- क्षेत्राधिकारी श्री अमित कुमार, का0 अंकित कुमार यादव, हो0 चा0 अवधेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 545 वाहनों से 6,12,500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 18.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 545 वाहनों से 6,12,500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के अपराध में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 18.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राजमन यादव द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त जगरनाथ सिंह पुत्र शिव पल्टन सिंह निवासी कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 250 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर थाना को0 खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री रामसूरत मिश्रा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 886/2013 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जबरन वसूली के अपराध में 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 18.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा थाना मेहंदावल पर अभियुक्तगण 01. प्रमोद पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी कांटी 02. दिनेश सिंह पुत्र चन्द्रभूषण सिंह निवासी बढ़या टोला, महाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर थाना मेंहदावल अन्तर्गत धोबी टोला बाईपास रोड मेंहदावल में सड़क पर गाड़ियों को रोककर जबरदस्ती अवैध धन वसूल करने का अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 313/2011 धारा 384 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 3500-3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

थाना महुली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 384/2025 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस से संबंधित प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता

- धनन्जय शुक्ला पुत्र विपिन बिहारी शुक्ला निवासी मुण्डेरा उपाध्याय थाना हाटा जनपद कुशीनगर।
- रजनी प्रजापति पुत्री खेमकरन प्रजापति निवासी पुलिस लाइन जनपद बिलासपुर छत्तीसगढ़, वर्तमान पता प्लाट नं0 61 जेबी गार्डन बेली थाना पारा जनपद लखनऊ।

विदित हो कि वादी श्री संतलाल मौर्य पुत्र रंगीलाल मौर्य निवासी हटवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था कि अभियुक्तगण विश्वनाथपुर में TVS Solution एवं AIIPL Trading के नाम से कार्यालय संचालित कर लोगों से धनराशि लेकर शेयर मार्केट में निवेश कराने का कार्य करते थे। अभियुक्तगणों द्वारा अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर वादी से विभिन्न माध्यमों से कुल ₹51,00,000/- निवेश कराया गया। समय बीतने के उपरांत भी वादी को न तो कोई लाभ प्राप्त हुआ और न ही उसकी धनराशि वापस की गई। जब वादी द्वारा अपने रुपये की मांग की गई तो अभियुक्तगणों द्वारा धोखाधड़ी एवं छलपूर्वक धनराशि हड़प लेने की जानकारी हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। इसी क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त उक्त दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, म0हे0का0 पुष्पा यादव, का0 सुर्यनरायनम गुप्ता।